न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बानसूर जिला अलवर

पीठासीन अधिकारी	–	श्री राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)
राजस्व अपील संख्या	–	27/2012
दायर दिनांक	–	10.12.2012
निर्णय दिनांक	–	16.03.2021

उनवान

1. जगदीश पुत्र मामराज पौत्र गंगा सहाय
2. रामेश्वर पुत्र मामराज पौत्र गंगा सहाय
3. सुवालाल पुत्र मामराज पौत्र गंगा सहाय
4. बदरी पुत्र रघुनाथ पौत्र गंगा सहाय
5. देवकरण पुत्र रघुनाथ पौत्र गंगा सहाय
6. नन्वू पुत्र रघुनाथ पौत्र गंगा सहाय समस्त जातियान गुर्जर निवासीयान ग्राम लोयती तहसील बानसूर जिला अलवर

-- **अपीलाण्ट**

बनाम

1. प्रभू पुत्र सोहन जाति गुर्जर निवासी लोयती तहसील बानसूर जिला अलवर
2. श्रीमति कमला देवी पत्नी मातादीन सराधना जाति गुर्जर निवासी वार्ड नं. 2 मोहल्ला बुचाहेडा तहसील कोटपुतली जिला जयपुर

-- **रेस्पोडेण्टस**

अपील विरूद्ध नामान्तकरण सं. 87 आदेश दिनांक 05.10.2011
द्वारा ग्राम पंचायत लोयती वाकै मौजा केहरपुरा

उपस्थित अधिवक्तागण :–

1. अपीलान्ट – श्री रामेश्वर दयाल शर्मा एड0

–:निर्णयः–

आज यह अपील हमारे समक्ष वास्ते आदेश पेश हुई। अपील के सुक्ष्म तथ्य इस प्रकार है कि आ0ख0नं0 284 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा जिसके हाल खसरा नं0 375 रकबा 0.38 हैक्ट., 286 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा जिसके हाल खसरा नं. 377 [illegible] 0.60 हैक्ट. वाके ग्राम केहरपुरा तहसील बानसूर की बाबत दावा [illegible] दवामी अदालत उपखण्ड अधिकारी महोदय बानसूर जिला अलवर के यहां चल रहा है। उक्त **वाद में** अस्थाई निषेधाज्ञा [illegible] बानसूर ने दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2021.08.04 13:47:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर 'अलवर'

Scanned with CamScanner

04.07.2006 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर विवादित आराजी खसरा नं0 284 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, 286 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा वाके ग्राम केहरपुरा तहसील बानसूर का नामान्तकरण बहक रेस्पो. कमला रजिस्टर्ड बयनामा सं. 1389 दिनांक 25.05.2006 के आधार पर दर्ज करने व स्वीकार ना करने के लिए पाबन्द किया गया। उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 04.07.2006 की प्रतिलिपी तहसीलदार बानसूर को पेश कर उक्त आदेश दिनांक 04.07.2006 का नोट संबंधित जमाबंदी में लगाने का निवेदन करने पर तत्कालीन पटवारी हल्का को तहसीलदार बानसूर के निर्देश पर संबंधित जमाबंदी ग्राम केहरपुरा में उक्त आदेश दिनांक 04.07.2006 का नोट लगा दिया गया। इस प्रकार जमाबंदी में अस्थाई निषेधाज्ञा का अंकन होने के बावजूद भी रेस्पो. ने बेजा तरीके से पटवारी हल्का से साजबाज होकर नामान्तकरण सं. 87 ग्राम केहरपुरा पोषिदा तरीके से खिलाफ कानुन दर्ज करवा लिया चूंकि नामान्तकरण संख्या 87 ग्राम पंचायत बुटेरी द्वारा स्वीकार किया गया है जिसकी अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार अदालत श्रीमान को है। इसलिए यह अपील पेश की गई है।

उक्त नामान्तकरण में हम अपीलान्ट का नाम दर्ज नही है किन्तु उक्त नामान्तकरण से हम अपीलान्ट के अधिकार विपरित रूप से प्रभावित होते है और दौरान दावा भूमि विक्रय की गई है इस परिस्थिति विशेष में हम अपीलान्ट को प्रस्तुत अपील पेश करने के लिए आज्ञा देने हेतु अलग से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी. पृथक से पेश किया गया है अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 87 निरस्त फरमाया जावें।

अपील अपीलान्ट दर्ज पंजिका की जाकर रेस्पो. को जर्ये नोटिस तलब किया गया। रेस्पो. सं.1,2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनकी अनुपस्थिति दर्ज की गई।

सर्वप्रथम वकील अपीलान्ट को प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी एवं प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर सुना गया। उक्त नामान्तकरण से अपीलान्ट के हित प्रभावित होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। उक्त नामान्तकरण स्वीकार होने की जानकारी अपीलान्ट को उक्त नामान्तकरण के आधार पर रेस्पो. द्वारा विवादित आराजी का कब्जा लेने हेतु मौके पर पहुचने पर हुई ऐसे में अपीलान्ट द्वारा पेश प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील में हुई विलम्ब अवधि को कन्डोन किया जाकर अपीलान्ट की अपील वास्ते सुनवाई ग्रहण की जाती है। मूल नामान्तकरण [illegible] दिनांक 05.10.2011 वाके मौजा केहरपुरा तलब किया गया।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस सुनी [illegible]। पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजो का ध्यानपुर्वक अवलोकन [illegible] किया गया। अपीलान्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2021.08.04 13:47:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर (अलवर)

Scanned with CamScanner

वकील द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरआरडी फरवरी 2001 पेज नं0 53 उनवान अन्जनी बनाम उमाशंकर का ससम्मान अवलोकन किया।

विवादित आराजी के संबंध में इस न्यायालय में उनवानी प्रकरण महादा बनाम प्रभु अन्तर्गत धारा 88,89,188 आरटीएक्ट दायर किया हुआ है जिसके साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट पर प्रार्थी/अपीलान्ट को एकपक्षीय सुनकर दिनांक 04.07.2006 को विवादित आराजी की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने तथा रजि0 बयनामा 1389 दिनांक 25.05.2006 का नामान्तकरण दर्ज व स्वीकार नही करने हेतु प्रतिवादीगण को पावन्द किया गया था जिसका नोट जमाबंदी में भी अंकित है परन्तु विचारण वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 04.07.2006 प्रभावी होने के बावजूद भी नामान्तकरण सं. 87 वाके मौजा केहरपुरा खोला जाकर ग्रा0 पं0 लोयती द्वारा दिनांक 05.10.2011 को स्वीकार किया गया है जिससे रिकार्ड की स्थिति बदली गई अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होती है।

आदेश

अतः उक्त विवेचानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर नामान्तकरण सं. 87 वाके मौजा केहरपुरा निर्णय दिनांक 05.10.2011 द्वारा ग्राम पंचायत बुटेरी निरस्त किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर जिला अलवर

आज दिनांक.....को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बानसूर जिला अलवर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2021.08.04 13:47:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner